

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1370
उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2025
सोमवार, 06 श्रावण, 1947 (शक)

पीएमकेवीवाई के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण

†1370. श्री जगदीश शट्टर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्नाटक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रदान किए गए अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल कितने अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं;
- (ख) क्या प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या तालुका पंचायतें प्रेस/मीडिया कवरेज के साथ हर छह महीने में कौशल्य और रोजगार मेले आयोजित करती हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, देश भर के युवाओं को अल्पावधिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुनः कौशलीकरण और कौशल- उन्नयन द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

जून 2025 तक, कर्नाटक राज्य में पीएमकेवीवाई के तहत कुल 6,05,147 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किया गया है।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, प्रशिक्षण केंद्रों/प्रशिक्षण भागीदारों को उद्योग संपर्कों, रोजगार मेलों और जॉब मेलों के माध्यम से प्रमाणित उम्मीदवारों की नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हालाँकि पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत नियुक्ति अनिवार्य नहीं है,

फिर भी यह योजना प्रशिक्षण भागीदारों को जहाँ भी संभव हो, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद रोज़गार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू पीएमकेवीवाई योजना के पहले तीन संस्करणों, यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई। इन संस्करणों के तहत, कर्नाटक में कुल 74,225 उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग) एवं (घ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके), प्रशिक्षण भागीदारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा रोज़गार मेलों का आयोजन किया जाता है।

तालुका पंचायतों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करके रोज़गार मेले और कौशल मेले आयोजित कर सकती हैं ताकि रोज़गार पहुँच को बढ़ाया जा सके। तथापि, पीएमकेवीवाई के तहत तालुका पंचायतों द्वारा ऐसे आयोजनों के नियमित आयोजन के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।
